

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.02.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश उर्फ गोली पुत्र बट्टीप्रसाद नि० अमवा खटिकनपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद कर मु०अ०सं०-35/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### 02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पंचम पुत्र हीरालाल नि० कोड़रे मौजा बगहिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-46/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती कलावती पत्नी महेश नि० नन्दे थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-110/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्रीदत्त पुत्र चिनगू नि० कोचा कासिमपुर खालेपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-65/21, धारा 8/21, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 13 ग्राम अवैध स्मैक।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11/12.02.2021 की रात्रि को थाना को० करनैलगंज के उ०नि० सुनील कुमार तिवारी मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गद्दोपुर रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अभियुक्त को

थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी।
02. का0 जागेश्वर गौड़।
03. का0 अनुज अवस्थी।